प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

दहेज हत्या के अभियुक्तों को हुयी 07 वर्ष की सजा

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारी को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

जिसके क्रम में थाना थानगांव से सम्बन्धित मु0अ0स0 86/13 धारा 304B/498A भा.द.वि व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम केशवराम पुत्र गंगा लोध 2.श्रीमती शन्ति देवी पत्नी केशवराम सर्व निवासीगण ग्राम लोध पुरवा थाना थानगांव जनपद सीतापुर में थानगांव पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। दिनांक 19.02.2021 को विचारण पूर्ण कर माननीय न्यायालय श्रीमान ए.एस.जे-/एफ.टी.सी. सीतापुर द्वारा अभियुक्तों केशवराम व श्रीमती शान्ति देवी उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 304B/498A भा.द.वि व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम को 07 वर्ष सश्रम कारवास एवं 10,00/-रू0 अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

----------------O----------------